

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशिशेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 18/2024 धारा 306/201 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता दीपू उर्फ दीपनरायन यादव पुत्र स्व0 रामविलास निवासी बैकुण्ठपुर पोखरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को रुपिन सड़क किनारे से गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि वादी सुरेशचन्द्र पाण्डेय पुत्र जदू पाण्डेय निवासी बैकुण्ठपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के पुत्र जयप्रकाश को उक्त अभियुक्त द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषित किया गया जिससे उन्होंने आत्महत्या कर लिया गया था । उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी (मृतक के पिता) द्वारा थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 02.06.2024 मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, हे0का0 रामसमुख पटेल ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनों से 1,57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनों से 1,57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।